

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-826/2026

1 – सूर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव पुत्र स्व० जमुना यादव उम्र 75 वर्ष

2- हर्षवर्द्धन यादव पुत्र रामअशीष यादव उम्र 28 वर्ष

निवासीगण साकिनान जयन्तीपुर, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु०अ०सं०-159/2025

अंतर्गत धारा-126(2), 115(2), 191(2), 352,

351(3), 333, 324(4) बी०एन०एस०

व धारा 3(1) द, ध, 3(2)(va) SC/ST Act

थाना-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर।

अन्तरिम जमानत आदेश

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सूर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव व हर्षवर्द्धन यादव** के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा को नोटिस दिये जाने एवं जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रपत्रों की इस स्तर पर आवश्यकता है। अतः मूल जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए समय प्रदान किया जाये। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से नियमित जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक अंतरिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में सुनवाई हेतु वादी की अनुपस्थिति तथा अभियोजन प्रपत्रों की अनुपलब्धता में अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। आवेदकगण/अभियुक्तगण **सूर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव व हर्षवर्द्धन यादव** प्रत्येक द्वारा मु०- 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें अंतरिम जमानत पर सत्यापन के अधीन रिहा किया जाये। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 10-03-2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें। पत्रावली नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हों।

धारा - 15(A)(5) Sc.St. Act. के अनुपालन में नियत तिथि के लिए वादी मुकदमा को कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया जाये।

दिनांक 24-02-2026

(प्रवीण कुमार सिंह-द्वितीय)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

I.D. No.-UP6051